

By Speed Post

No. 13012/42/2013-K.VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
Jammu and Kashmir Division

North Block, New Delhi
Dated 7th January, 2014

To,

Shri Pradeep Kumar Soni,
Gangpur City,
FCI Godam Road,
Sainik Nagar,
Ganagpur City,
Distt. Saawai Madhopur
Rajasthan- 322201

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 18.11.2013 received in this section vide letter F.No. 43020/213/RTI/2013-CSR-III dated 31.12.2013 seeking information under RTI Act, 2005. In this context it is stated that the matter does not relate to Jammu and Kashmir Division (K.VI Branch).

2. Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary(Kashmir), MHA, North Block, New Delhi is the Appellate Authority in the matter.

Yours faithfully,

(Handwritten Signature)
(R.P. Meena) 2014

Deputy Secretary(K.II) & CPIO

(Handwritten initials)

प्रति प्रेषित
ISSUED
09 JAN 2014
MHA (NB)
हस्ताक्षर/Sign.....
प्रा० तथा दे०/R&I

217878/2014) @SK-II

AG/RTI/KVI/2014

RTI Matter

85

31/1/14 F.No.43020/213/RTI/2013-CSR.III

Government of India
Ministry of Home Affairs
(CS Division)

N.D.C.C. Building, Jai Singh Road.
dated the December, 2013.

31/1

OFFICE MEMORANDUM


Sub:- Information sought by Shri Pradeep Kumar Soni under RTI Act, 2005 – Regarding.

Please find enclosed herewith a RTI application No. 213 dated 18.11.2013 (received by the answering CPIO as on 27.12.2013) through Joint Secretary (Judicial) vide their letter no. 24/82/2013-Judl. & PP dated 18.12.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the subject noted above.

2. The information sought by the applicant is not available in CSR-III Section. The RTI application dated 18.11.2013 is therefore transferred to all CPIO of MHA under section 6 (3) of RTI Act.

3. Sh. S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS), is the concerned Appellate Authority.

Yours faithfully'



(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO


To

All CPIO in Ministry of Home Affairs as per list attached.

Copy to :- Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar, Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan – 322201.

Shri J.P.Agrawal, Joint Secretary (Judicial) & CPIO, Judicial & Political Pensions Section, N.D.C.C.II Building, New Delhi


(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO

US(K-VI) 2.


970/MHA/113
23/12/13

S. NO 1 (12)
No.24/82/2013-Judl.&PP

75

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralay
(Judicial & Political Pensions Section)

4th Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-1.
Dated the 18 December, 2013.

~~USG (PL)~~
C.No 212855/JS (CS)
27/12/13

OFFICE MEMORANDUM


Sub: Information sought under RTI Act, 2005 by Shri Pradeep Kumar Soni, Rajasthan.

CR
22-12
~~SO (CS-3)~~

The undersigned is to refer to the RTI application No. 213 dated 18.11.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the above subject and to transfer the same under section 6(3) of RTI Act, 2005 in original, as received, for taking necessary action in the matter as CS Division, MHA is concerned with the subject.

2. It is requested that the applicant may be provided the desired information/document directly under intimation to this Division.

Encl: As above


18/12/13
(J. P. Agrawal)

Joint Secretary (Judicial) & CPIO
Telefax-23438113

To


1. Ministry of Home Affairs, (CS Division), (Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary), 5th Floor, NDCC-II Building, New Delhi.

Copy to:

hw
M (CS)

Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar
Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan-322201.

Pl. circulate all CPIO, in MHA, immediately.


27/12/13

~~SO (CIR-III)~~ Rajesh

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 11/12/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती ~~श्रीमती~~ प्रदीप कुमार के आवेदन का अंतरण।

इस मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार का दिनांक 11/11/2013 का आवेदन

को प्राप्त हुआ है (11/11/2013 को प्राप्त)। चूंकि उपरोक्त सूचना ~~श्रीमती~~ ~~श्रीमती~~ से संबंधित है / के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को जागें साथे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने रसोद संख्या 27536 दिनांक: 27/11/2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10/- रूपए का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/अदा नहीं किया है ~~लेकिन~~ ~~इस~~ ~~कारण~~ ~~से~~ ~~पीठे~~ ~~के~~ ~~द्वारा~~ ~~से~~ ~~संलग्न~~ ~~है।~~

Handwritten signature

के राजन
(चौ.क. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,
(1) श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार
नया गांधी नगर, नई दिल्ली

(2) श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती ~~श्रीमती~~
गृह मंत्रालय,
एन 20 रोड - II, जयपुर,
राजस्थान

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: निम्न (9) को दिनांक 11/12/13
श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार
नया गांधी नगर, नई दिल्ली

CS Div.
17/12/13

(उनसे, मामले में आवेग को सूचना के लिए उपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन

2

पत्र क्रमांक 213

दिनांक - 18.11.2013

प्रेषित:- लोक सूचना अधिकारी श्रीमान् सचिव महोदय,केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली भारत-110001

आवेदक का पूरा नाम व पता - प्रदीप कुमार सोनी महासचिव रोजगार, युवा-समिति गंगानगर सिटी गोदाम रोड सैनिक नगर गंगानगर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज) 322001 फोन नं-9001981343

चाही गयी सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है

22 NOV 2013
R. No. 1464
सं. वकील के नाम व पता गोवाईल

1. विधिक सहायता समिति के पैनल में कितने वकील है। पैनल के नम्बर बतायें।
2. विधिक सहायता समिति में कितने सदस्य है। सभी सदस्यों के नाम क्या है। कमबद्ध सूचना दें।
3. विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है? एवं अन्य क्या पद है।
4. विधिक सहायता समिति, पुलिस, S.D.M., M.L.A. के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के लिए इनके खिलाफ गरीब इन्सान को पैनल से आप वकील दे सकते है अथवा नहीं।
5. विधिक सहायता समिति, राजस्थान सरकार के ऊपर केश करने के लिए पैनल से वकील देती है अथवा नहीं।
6. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B-C.I.D. क्राइम ब्रांच जाँच कराने के लिए पैनल से वकील दे सकती है अथवा नहीं। गरीब इन्सान को।
7. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.I. जाँच करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
8. विधिक सहायता समिति, पुलिस के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के लिए A.C.B.कोर्ट में केश दर्ज करवाने के लिए/A.C.B.थाने में F.I.R दर्ज करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
9. आपके कार्यालय के प्रमुख या इन्चार्ज/सर्विस कर्ता का दर्शन लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है।
10. विधिक सहायता समिति को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कितने दिन/कितने घंटे बाद पैनल से वकील देती है।
11. विधिक सहायता समिति में समाज सेवक/सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य बनना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए।
12. विधिक सहायता समिति ने अब तक यानि आज दिनांक तक पुलिस वालों सरकार के खिलाफ पैनल से किसको वकील दिया है। सूचना दें।
13. विधिक सहायता समिति को प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये है।
14. विधिक सहायता समिति की मितिग में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सूचना दें।
15. किसी गरीब इंसान के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उस गरीब प्रार्थी ने नेशनल हुमन् राईट कमिशन में शिकायत की हो और कमिशन से उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो क्या आप पैनल से उस प्रार्थी को वकील देंगे। सूचना दे सम्पूर्ण रूप से।
16. आपके कार्यालय के सचिव महोदय ने कितनी संस्थाओं को मिलने के लिए समय दिया है। क्रम बार सूचना दें। एवं संस्थाओं के नाम व पता बताएँ।
17. आपने जेल में बन्द मुलजिमा की किस-2 प्रकार की एवं कितनों की सहायता की है। बन्दुवार सूचना दें।
18. गंगानगरसिटी प्रशासन हमारे कार्यालय/कॉलोनी में गंदा पानी छोड रहे हैं। हमें एवं कॉलोनी वार्डियों को डेगू चिकिनगुनिया के मरीज बनाने के लिए जिसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी थी, पर आज दिनांक तक कोई समाधान नही हुआ तो हमें क्या करना चाहिए।
19. आपने किस किस संस्थाओं को विशेष अधिकार दे रखे है नाम व पते के साथ अधिकारों का विवरण बताएँ।
20. संस्था C.B.I. की मदद करना चाहती हों तो संस्था को क्या करना चाहिए।
21. गंगानगर सिटी में A.C.B. थाना खुलवाना है तो संस्था को क्या क्या करना चाहिए।
22. गंगानगर सिटी को जिला बनवाना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
23. गंगानगर सिटी के पानी में फ्लोराईड बहुत अधिक है, तो संस्था को क्या करना चाहिए।
24. संस्था किसी अधिकारी के द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जाँच करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

latine
d/c

25. संस्था किसी जज के द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जाँच करवाना चाहती हो तो संस्था को क्या करना होगा।
26. नोटेरी पब्लिक की किस कार्य के लिए कितनी फीस है। आप सूचना दें।
27. नोटेरी पब्लिक के द्वारा ज्यादा पैसे लेने की कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है।
28. शपथ आयुक्त अगर पैसे ज्यादा ले तो शिकायत कहीं कहीं कर सकते हैं। सूचना दें।
29. कोर्ट परिसर में कम्प्यूटर ऑपरेटर की दुकान अगर किसी को खोलनी है तो कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
30. मैं प्रदीप कुमार सोनी सामाजिक कार्यकर्ता मोका कमिश्नर बनना चाहता हूँ तो मुझे कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
31. वकील अगर गलत कार्य करता है तो वकीलो की शिकायत कहीं कहीं की जाती है।
32. P.P./A.P.P सरकारी वकीलों के द्वारा अगर गलत कार्य किये जा रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में मैं डूबे हैं तो शिकायत कहीं-कहीं करनी चाहिए।
33. किसी आम गरीब इन्सान के उपर अगर झूठा आरोप लगाकर आई.पी.सी. 376 लगा दी जावे तो मुलजिम डाक्टर की जाँच कहीं-कहीं करा सकते हैं। इसका तरीका क्या है। सूचना प्रदान करें।
34. किसी गरीब इंसान के उपर I.P.C. 376 लगी हो और वो इंसान निर्दोष हो और पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो वो इन्सान किस किस एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। एवं जाँच करवाने का तरीका किस किस प्रकार है। सूचना प्रदान करें क्रम वार।
35. किसी निर्दोष इन्सान के उपर I.P.C. 379 लगी हो और उस गरीब इंसान को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हों तो वो इंसान किस-किस जाँच एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। बिन्दुवार सूचना प्रदान करें। एवं जाँच करवाने का तरीका किस प्रकार है।
36. किसी इंसान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलजिम बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दें एवं उस गरीब इंसान ने चालान कोर्ट में पेश होने से पहले ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय नेशनल हूमन राईट कमिशन, लोकायुक्त महोदय जी से काईम ब्रान्च जाँच की माँग की थी फिर भी काईम ब्रान्च जाँच नहीं हुई, भ्रष्टाचारी पुलिस वालो को पैसे नहीं देने के कारण कोर्ट में चालान पेश कर दिया। तो प्रार्थी को क्या करवाना चाहिए।
37. क्या गरीब इंसान को काईम ब्रान्च जाँच करवाने का अधिकार नहीं? सम्पूर्ण सूचना दें।
38. न्यायाधीश A.D.J. द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये की सम्पत्ति एकत्रित की जा रही है। इसकी जाँच कौन करेगा।
39. न्यायाधीशों A.D.J. के द्वारा साठ-गौठ करके महा भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी जाँच कौन करेगा।
40. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हूमन राईट कमीशनों के अध्यक्षों के द्वारा अरबों/करोड़ों रुपये रिश्वत लेकर कमाये जा रहे हैं इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं।
41. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हूमन राईट कमिशन के सदस्यगण व कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमाये जा रहे हैं। इसकी जाँच आपने अब तक करवाई की या नहीं। एवं इसकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है। सम्पूर्ण सूचना दें।
42. राजस्थान के लोकायुक्त सचिवालय में सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनके खिलाफ आपने अब तक जाँच के आदेश दिये या नहीं दिये। एवं इनकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है बिन्दुवार सूचना प्रदान करें।
43. एस.डी.एम. कार्यालय गंगापुर सिटी में सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिनमें एस.डी.एम. भी शामिल है इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं एवं इनके खिलाफ कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है। सूचना प्रदान करें।
44. तहसीलदार जी एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी गंगापुर सिटी के भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनकी जाँच कौन करेगा।
45. गंगापुर सिटी पुलिस मुझे डराती है, एवं धमकी देती है कि तुम समाज सेवा करना बंद कर दो। जिससे मुझे काफी परेशानी होती है, इनकी शिकायत मैं कहीं कहीं करूँ।
46. सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने के लिए आप पैनल से वकील देते हैं अथवा नहीं।
47. आपके कार्यालय के सबसे बड़े पद पर विराजित को संस्था बुलाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा विवरण दें।

48. गंगापुर सिटी कोर्ट परिसर के सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तो संस्था को इनकी शिकायत कहीं करनी चाहिए।
49. राजस्थान सरकार युवाओं का शोषण कर रही है तो संस्था की आप किसी प्रकार मदद कर सकते हैं जनहित परिवार में।
50. कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सुरक्षा प्रदान की है।
51. सामाजिक कार्यकर्ता की आप किस किस प्रकार मदद करते हैं क्रम बार सूचना दें।
52. आपके कार्यालय से आपके कर्मचारी सरकारी सामान की चोरी करके अपने परिवार वालों को ले जाते हैं जैसे कागज, रबर, पेन्सिल, पेन, अन्य आपने अपने कर्मचारियों के घर का निरीक्षण किया है कि वो किस सामान की चोरी करते हैं।
53. विधिक सहायता समिति जिला न्यायालय साकेत कोर्ट नई दिल्ली में कर्मचारियों के द्वारा बहुत गन्दा व्यवहार किया जाता है गरीब को परेशान करते हैं तो इसकी जाँच कोन करेगा।
54. किस किस केश में D.N.A. जाँच कराई जा सकती है। एवं जाँच करवाने का तरीका क्या है। पूर्ण बिन्दुवार सूचना दे।
55. D.N.A. जाँच करवाने के लिए कहीं - कहीं आवेदन किया जा सकता है जो निःशुल्क में होती है।
56. किसी इंसान की पत्नी बिना तलाक दिये दूसरी शादी करले व पहले पति को तलाक दिये बिना दूसरे पति से बच्चे भी पैदा कर ले तो पहले पति को क्या करना चाहिए। या किसकी शरण में जाना चाहिए। सूचना बिन्दुवार प्रदान करें।
57. किसी इंसान की पत्नी पहले पति के सारे जेवरों को लेकर दूसरे पति (इंसान) से शादी करले दूसरा पति बहुत बड़ा गुण्डा हो जो कोई सबूत ना देता हो पर बच्चे पैदा जरूर करता है तो पहले पति को क्या करना चाहिए। बिन्दुवार सूचना दें।
58. आपके यहाँ पर कितनी समितियाँ हैं व क्या कार्य करती हैं उनके नाम किस प्रकार हैं सूचना दें।
59. आपके यहाँ पर कोई संस्था जनहित, परिवाद किसी और के लिए परिवाद दे सकती है अथवा नहीं सूचना दें।
60. आपके यहाँ कोई हैल्पलाइन नं० है या नहीं यदि है तो नं० बताईये।
61. आज दिनांक तक कितनी F.I.R. दर्ज कराने के आदेश आपने दिये हैं परिवाद प्राप्त होने पर
62. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.-C.I.D. जाँच के आदेश दिये हैं। या दिलवाये हैं
63. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.I. जाँच के आदेश दिये हैं या दिलवाये हैं।
64. आज दिनांक तक आपने कितने अधिकारियों को सजा दी। या दिलवायी है उनका पद नाम एवं पता बतायें।
65. आज दिनांक तक आपने बड़े से बड़े मंत्री/अधिकारियों को सजा दी है या दिलवायी है उनका पदनाम एवं पता बताईये।
66. आपके कार्यालय का प्रतिमाह कितना खर्चा होता है उन खर्चों को भगवान देता है या देश की गरीब जनता देती है। सम्पूर्ण रूप से विवरण दें।
67. SHO पुलिस DPT पुलिस, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी को नाजायज परेशान करना, अत्याचार करना, गुण्डागर्दी करना, रिश्वत लेना, इन दोषों में से अगर एक दोष इन अधिकारियों में हो और उनका सबूत हो तो इन अधिकारियों के उपर F.I.R. दर्ज कराने का सही तरीका कोनसा है।
68. क्या इन अधिकारियों के उपर न्यायालय ACJM कोर्ट में इस्तगारसा पेश कर FIR दर्ज करवाने का अधिकार मौजूद है अथवा नहीं सूचना प्रदान करें।
69. समिति ACB का स्पेशल कोर्ट जिला सवाई माधोपुर में खुलवाना चाहती है तो समिति को क्या करना चाहिए सूचना प्रदान करें।
70. केन्द्रिय आयोग, कुल कितने हैं इनके नाम क्या क्या है व कार्य क्या है।
71. केन्द्रिय आयोगों के सभी के पते किस प्रकार हैं, एवं दूरभाष सहित सूचना दें।
72. राजस्थान में कुल आयोग कितने हैं इनके नाम किस प्रकार हैं।
73. राजस्थान में कुल आयोगों के सभी सही सही पते किस प्रकार हैं सूचना प्रदान करें।
74. आपसे, आपके कार्यालय से एक आम आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मदद सहायता ले सकता है। पूर्ण रूप से सूचना प्रदान करें।
75. किसी आदिवासी गरीब, दलित मजदूर को अगर कोई 500/-रुपये का नोट नकली दे देता है और वो गरीब इंसान बैंक में जमा करवाने जाता है बैंक उस 500/-रुपये के नोट की सूचना पुलिस को देती है उस गरीब इंसान के साथ क्या होगा, क्या पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, या उस गरीब को प्रताड़ित करेगी, क्या होगा उस गरीब इंसान के साथ, पूर्ण रूप से सूचना दें।

76. भारत देश में एवं राजस्थान में नकली नोटों को पकड़ने के लिए कितनी ऐजेन्सी/थाने/पुलिस लगा रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ नकली नोटों के काले धन्धे पर छापा डालते हैं। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
77. सरकार/पुलिस/C.B.I./खुफिया ऐजेन्सियों/C.I.D./ प्राईवेट ऐजेन्सी होने के बावजूद देश में राजस्थान प्रदेश में नकली नोट कैसे आते हैं क्या सरकार गोपनीय लाईसेन्स जारी करती है या सरकार इस पैसे में हिस्सेदार है सम्पूर्ण सूचना दें।
78. गंगापुर सिटी पुलिस रूपये लेकर नम्बर 2 के सारे कार्य करवा रही है। जैसे हथियार बेचना, बनाना, मादक पदार्थ बेचना, चोरी करवाना इन सभी सूचनाओं को I.B. के कर्मचारी उपर भेज रहें हैं इन सब के बावजूद गंगापुर पुलिस को ऐसे कृत्य करने के लिए परमिशन/लाईसेन्स दे रखा है तो आप उस लाईसेन्स परमिशन की एक प्रमाणित कॉपी एक सैट में दें। सम्पूर्ण सूचना दें।
79. गंगापुर सिटी पुलिस थाने में कई वर्षों से गुम हुए आदमियों एवं सामान की शिकायत तो दर्ज करती है पर तलाश नहीं करती है आखिर क्यों क्या तलाश नहीं करने का कानून है। सूचना प्रदान करें।
80. गंगापुर सिटी में जो भी अधिकारी नौकरी करके यहाँ से गया है जैसे उप पुलिस अधीक्षक, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार थाना S.H.O/C.I. जो कम से कम एक वर्ष तक यहाँ रहा हो वो गंगापुर सिटी में से नम्बर 2 की कमाई एक करोड़ रुपये से भी अधिक लेकर जाता है इस कारण वॉ गंगापुर सिटी में दोबारा आने के लिए काफी जतन करता है। गंगापुर सिटी में से अधिकारी नौकरी करके जाते हैं उनकी संपत्ति रूपये हैसियत की जाँच आज दिनांक तक कितनी बार करवाई है, पूर्ण सूचना प्रदान करें।
81. आपके कार्यालय के द्वारा हेल्पलाईन नम्बर चला रखे है वो किस प्रकार है तथा आपके यहाँ से टोल फ्री नम्बर भी हेल्पलाईन में चला रखे है तो बताएँ।
82. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में गंगापुर सिटी के ही लोकल कर्मचारी लगा रखें है जो साठ गाठ करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार करवाते है, सरकारी कार्यालय जैसे न्यायालय A.D.J. कोर्ट A.C.J.M. कोर्ट, M.M. कोर्ट, न्यायालय उपजिला कलेक्टर, न्यायालय तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक वृत्त गंगापुरसिटी सूचना प्रदान करें कि संविधान की किस धारा अनुच्छेद में सरकारी कार्यालयों में लोकल कर्मचारी लगाने की परमिशन देता है।
83. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में कई वर्षों से भी अधिक समय से ये कर्मचारी लगे हुए है जो रहने वाले गंगापुर सिटी के है जो भ्रष्टाचार करवाने में अहम भूमिका निभा रहें है इन कर्मचारियों को कब हटाया जावेगा। सम्पूर्ण सूचना दें।
84. विधिक सहायता समिति से यदि कोई गरीब इंसान वकील लेकर न्यायालय में निगरानी इस्तागासा, जनहित याचिका, परिवाद कानूनी तरीके से बनवाना चाहता है। कानूनी तरीके से वो खुद पहरवी करना चाहता है तो क्या विधिक सहायता समिति न्यायालय में कागज पेश करने के लिए मार्ग दर्शक के तौर पर वकील उपलब्ध करवा सकती है। अथवा नहीं पूर्ण सूचना प्रदान करें।
85. राजस्थान में मंत्रालयों, विभागों आयोगों, न्यायपालिका में उच्च लेवल के सबसे बड़े अधिकारी जो सतर्कता C.I.D.-A.C.B. के सभी एवं अलग अलग सतर्कता के अधिकारियों के सभी नाम किस प्रकार है उनके मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी फ़ैक्स नम्बर पता सभी सूचनाएँ कम बार उपलब्ध कराएँ।
86. न्यायपालिका में कोई सतर्कता अधिकारी, विभाग होता है तो उच्च अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर पता इत्यादि कि सूचना दें।
87. राजस्थान में सन् 2000 से आज दिनांक तक पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों, एवं अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर कुल प्रति वर्ष एफआईआर दर्ज हुई है प्रतिवर्ष के हिसाब से सूचना प्रदान करें।
88. राजस्थान में आजादी के बाद से आज दिनांक तक प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को राजा गिल चुकी है सूचना प्रदान करें।
89. भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भारत द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है रिट संख्या सन् वो आदेश की कॉपी चाहिए या जो भी उपलब्ध हो गंहोदय।
90. आपके कार्यालय एवं आपके पद का बज्रूद आम जनता की बदोलत है या आपके कार्यालय व आपके पद के कारण आम जनता का बज्रूद है। सूचना प्रदान करें।
91. राजस्थान में राजाओ, दरवार साहबों, राज परिवारों के नाम, पते नम्बर सहित सूचना प्रदान करें।
92. आपके कार्यालय के कारण कितने गरीब इंसानों को जिन्दगी मिली है, नई जिन्दगी जीने का मौका मिला है कुछ गरीबों पर मेहरवानी की है कितनों की सहायता की है कितनों को न्याय दिलवाया है। सूचना प्रदान करें।

93. आपके कार्यालय में आज दिनांक तक कितने आम आदमियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।

निरन्तर ...5 पर.

(5)


⑥ 7

94. सरकारी नौकरी के पेपर लीक होना, पेपर आउट होना, नौकरी में फर्जी बाडा इत्यादि को रोकने के लिए आज दिनांक तक कितने अभियान आपके कार्यालय द्वारा चलाये गये एवं मुलाजिमो को इस अपराध में आपने आज दिनांक तक कितनों को पकडा व सजा दिलवाई है।
95. संस्था "समिति" के पास कोई अपराधी आये जो पूर्व मे कई बडे अपराध कर चुका हो अज्ञानता के कारण पर संस्था को शपथ पत्र पेश करके कहें कि भविष्य में दुबारा अपराध नहीं करुंगा और संस्था के द्वारा जो रास्ता दिखाया जावेगा सच्चाई का उस पर हमेशा चलूंगा और दूसरों की सदैव मदद करुंगा। व संस्था को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो क्या संस्था को उस अपराधी को सुधरने व नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का अधिकार है कि नहीं संस्था उस अपराधी को समाज सेवा के प्रति अग्रसर कर सकती है अथवा नहीं। सम्पूर्ण सूचना देवे।
96. समिति ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 ए-बी के तहत उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र पेश किया परमिशन लेने के वास्ते। पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने पत्र क्रमांक 3258 दिनांक 25.10.2013 को पत्र भेजा जिसमें जिक किया कि रेली के साथ ज्ञापन देने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समिति को उपजिला कलेक्टर मौलिक अधिकारों के तहत परमिशन देने में आनाकानी करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिश्वत नहीं देने के कारण तो समिति को क्या करना चाहिए। कम वार सूचना प्रदान करें।
97. किसी गरीब इंसान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलाजिम बनाकर न्यायालय कोर्ट में चालान पेश कर दे पर वो गरीब इंसान बिलकुल निर्दोष हो पुलिस को रुपये नहीं देने के कारण उस गरीब इंसान अपने केस की दोबारा जांच करवाना चाहता है सच्चाई के साथ C.B.-C.I.D. काईम ब्रान्च से तो उस गरीब इंसान को क्या करना चाहिए पूर्ण सूचना प्रदान करें।
98. जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना किस के लिए की गयी है एवं जिला रोजगार कार्यालय किस किस प्रकार के कार्य करता है पूर्ण सूचना प्रदान करें।
99. संस्था " समिति " अगर किसी इनामी डकैत का समर्पण करवाना चाहती है, तो संस्था को किस प्रकार की सुविधा सरकार व प्रशासन की और से दी जाती है एवं डकैत से समर्पण करवाने का सही पूर्ण तरीका किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
100. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों के पद नाम बताएं व सभी के मोबाईल नम्बर बताएं एवं कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
101. राजस्थान प्रदेश में कितने इनामी डकैत हैं, जो आज दिनांक तक सरकार के पकड में नहीं आये हैं उनके नाम पते बतायें।
102. थाना गंगापुर सिटी में C.L.G. सदस्य अधिकतर अपराधी है एवं राजनितिज्ञ है इसकी जांच कब होगी।
103. संस्था गरीब परिवारों का नाम B.P.L. सूची में दर्ज करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।
104. किसी थाने का S.H.O./ C.I. ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया हो और उस दिन व दो चार दिन तक न्यायालय कि छुट्टी हो तो वह महिला किस की परमिशन से डाक्टर मुआयना/डाक्टरी जांच करवा सकती है। सूचना प्रदान करें।
105. गंगापुर सिटी की जनता को चम्बल परियोजना का पानी कब पीने को मिलेगा जो सन् 2004 से प्रस्तावित है। और धीरे-धीरे कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। सूचना देवें।
106. सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली कई वर्षों तक ध्यान नहीं दे या शिकायत पर अन्तिम फैसला नहीं करें तो सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक को क्या करना चाहिए।
107. सरकार व न्यायपालिका अगर गंगापुर सिटी के सभी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते है तो गरीब जनता से टेक्स क्यों लेते हैं। सूचना देवें।

भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10/-रुपये का नम्बर 26F 217047 पेश है।

स्थान - गंगापुर सिटी

दिनांक - 18.11.2013



प्रदीप कुमार सोनी

मुख्य सचिव

रोजगार युवा समिति
सैनिक नगर, महेंद्र उद्योग फील्ड
एफ०सी०आ०. गकम रोड
गंगापुर सिटी संमा० (राज०)